देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/213 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 12 नवम्बर 2021

खुशखबरी!! खुशखबरी!! खुशखबरी!!

विशेष रिपोर्ट-2

श्रीराम की कृपा से 220 केवी की एचटी लाइन से प्रभावित भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर शीघ्र खुलने जा रहा है मोती संस जैसा भव्य शोरूम!!!

"जय श्री ज्वेलर्स"

220 केवी की एचटी लाइन से प्रभावित आवासीय भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर बन रहा व्यवसायिक शोरूम "जय श्री ज्वेलर्स"

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

MAP OF NAWAL VIHAR
S. P.LTD. VILLAGE -
TEEJA NAGAR
ROAD 48m. WIDE
SHOP
K. RASTA
SHYAM ENCLAVE
ROAD 30'-0" WIDE
106
49
H.T.LINE 132 KV
SAFETY CORRIDOR 13.6m. WIDE
H.T.LINE 220 KV
SAFETY CORRIDOR 18.6m. WIDE
ROAD 9m. WIDE
MAP SUBMITTED BY
नोटः– 1. कार्नर के भुखण्डों की गोलाई का क्षेत्र नियमानुसार कम किया जायगा ।
मानचित्र पर खसरा सुपरइंपोजिशन का प्रमाणिकरण राजस्व शाखा द्वारा किया गया है ।
अमीन जोन 17
तहसीलदार जोन 17
सर्वे मानचित्र की पी.टी.सर्वे अनुसार जाँच की गई है
ज.इ.न. जोन 17
योजना की तकनीकी जाँच कर ली गई हैं।
व. प्रारुपकार जोन 17
जोन 17

(vi) 132 के.वी. हाईटेंशन लाईन के लिए ROW27 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 13.8 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष13.2 मीटर मे से सेफ्टी कॉरीडोर के दोंनो ओर 6.6 मीटर चौडाई की पट्टी उपलब्ध सडक के मार्गाधिकार में सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार 220 के.वी. लाईन के लिए ROW35 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 18.6 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष 16.4 मीटर में से सेफ्टी कॉरीडोर के दोंनो ओर 8.2 मीटर चौडाई की पट्टी उपलब्ध सडक के मार्गाधिकार में सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवनों की ऊँचाई निर्धारित किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

"ROW of High-tension Line –Width of Safety Corridor = Width of Existing Road"

भवनविनियमो के अनुसार 220 केवी लाइन के नीचे रोड की स्थिति|

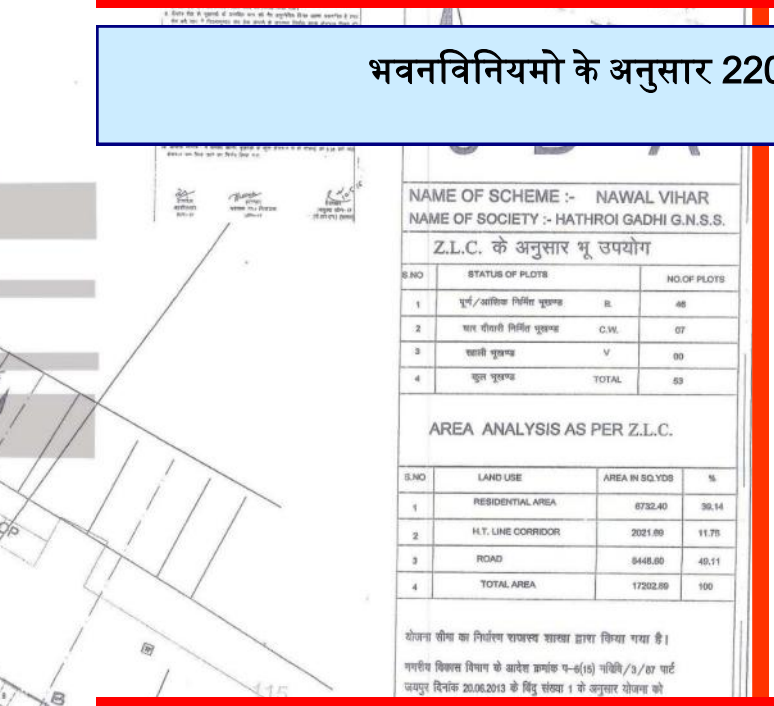

NAME OF SCHEME :- NAWAL VIHAR
NAME OF SOCIETY :- HATHROI GADHI G.N.S.S.

Z.L.C. के अनुसार भू उपयोग

S.NO	STATUS OF PLOTS		NO.OF PLOTS
1	पूर्ण/आंशिक निर्मित भूखण्ड	R.	46
2	सार दीवारी निर्मित भूखण्ड	C.W.	07
3	खाली भूखण्ड	V	00
4	कुल भूखण्ड	TOTAL	53

AREA ANALYSIS AS PER Z.L.C.

S.NO	LAND USE	AREA IN SQ.YDS	%
1	RESIDENTIAL AREA	6732.40	39.14
2	H.T. LINE CORRIDOR	2021.89	11.75
3	ROAD	8448.60	49.11
4	TOTAL AREA	17202.89	100

योजना सीमा का निर्धारण राजस्व साक्षा द्वारा किया गया है।
नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15) नविवि/3/87 पार्ट
जयपुर दिनांक 20.06.2013 के बिंदु संख्या 1 के अनुसार योजना को

220 केवी लाइन के सड़क मार्गाधिकार मे कैसे बन सकता है यह ज्वेलरी का शोरूम?

हाईटेंशन लाइन के नीचे क्या है सड़क बनाने के नियम?विद्युत विभाग और नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार 220 केवी लाइन के लिए राइट ऑफ वे(ROW) 35 मीटर अंकित किया गया है अर्थात 18.6 मीटर सेफ़्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है और शेष 16.4 मीटर मे से सेफ़्टी कॉरिडॉर के दोनों और 8.2 मीटर चौड़ाई की पट्टी उपलब्ध सड़क के मार्गाधिकार मे सड़क निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है|इस नियम के हिसाब से भूखंड संख्या 01,नवल विहार पूर्णतया 220 केवी एचटी लाइन के सड़क मार्गाधिकार से प्रभावित है और इस भूखंड पर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति कतई ही नहीं दी जा सकती|ऐसे मे इस भूखंड को सड़क सीमा मे अतिक्रमण माना जाएगा जिसे हटाना क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी की ज़िम्मेदारी है लेकिन इस मामले मे तो यह श्रीमान अतिक्रमी का ही पक्ष लेकर उसके अवैध निर्माण/अतिक्रमण को बचाने की लगातार और हर संभव कोशिश कर रहे है|

220 केवी की एचटी लाइन से प्रभावित आवासीय भूखंड संख्या 1,नवल विहार मे बन रहे व्यवसायिक शोरूम "जय श्री ज्वेलर्स" का मामला|

जैसा कि इस प्रकरण के पहले अंक मे आपको बताया गया था किस प्रकार ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी की कृपा से जेडीए के ज़ोन पीआरएन नॉर्थ मे स्थित आवासीय भूखंड 01 नवल विहार पर विशालकाय ज्वेलर का शोरूम बनाया जा रहा है|

अब इस प्रकरण मे एक नया खुलासा सामने आया है |सूत्रों के अनुसार यह भूखंड 220 केवी की हाईटेंशन लाइन से प्रभावित है जिसके कारण यह पूरा निर्माण ही अवैध होकर तोड़ने योग्य है|लेकिन इसके बावजूद इस मामले को कई दफा ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी और जेडीए के आला अधिकारियों के संज्ञान मे लाने के बावजूद इस पर कार्यवाही करने की बजाय नित नए बहाने बनाकर इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है|

विगत 7 वर्षों से बिना जेडीए की अनुमति के आवासीय भूखंडसंख्या 1,नवल विहार पर चल रहा था दो मंज़िला अवैध जय श्री ज्वेलर्स का व्यवसायिक शोरूम,जिसे तोड़ कर बिना सेटबैक छोड़े बनाया जा रहा तीन मंज़िला नया शोरूम

आपको बता दें कि विगत 7 वर्षों से बिना जेडीए की अनुमति के आवासीय भूखंडसंख्या 1,नवल विहार पर दो मंज़िला अवैध जय श्री ज्वेलर्स का शोरूम बना कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था,इस शोरूम मे विगत 7 सालों मे कई बार चोरी हो जाने से परेशान होकर शोरूम मालिक द्वारा इसे पूरा तोड़ कर बिना सेटबैक छोड़े तीन मंज़िला नया शोरूम बनाया जा रहा है|

जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी ने जारी की NOC,उनके अनुसार इस भूखंड पर आवासीय इकाई का हो रहा निर्माण,स्थानीय निवासियों को कोई आपत्ति नहीं|

हमारे द्वारा जब इस अवैध शोरूम के निर्माण का मामला जेडीए प्रवर्तन के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया तो जेडीए प्रवर्तन के अधिकारियों ने बड़े रोचक जवाब दिये,ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 16/08/2021 को बताया गया कि **"मौका देखा गया पुराने 2 मंज़िला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है"** वही दिनांक 24/08/2021 को बताया कि **"पुराना मकान तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है,आस पास और कॉलोनीवासियों को कोई आपत्ति नहीं है|" जानकारों के अनुसार इस ज्वेलर को "श्रीराम" की कृपा प्राप्त है जिसके चलते ही इस अवैध निर्माण को बचाया जा रहा है|**

भूखंड संख्या 1,नवल विहार पर पूर्व मे संचालित व्यवसायिक ज्वेलरी का शोरूम "जय श्री ज्वेलर्स",जिसे तोड़कर इसे और भव्य रूप से बनाया जा रहा है,यह शोरूम विद्वान प्रवर्तन अधिकारी को किस लिहाज से आवासीय नजर आ रहा है इसका जवाब तो विद्वान प्रवर्तन अधिकारी ही बेहतर रूप से दे सकते है|

वर्तमान मे भूखंड संख्या 1,नवल विहार मे तीव्र गति से चल रहा ज्वेलरी के शोरूम का निर्माण कार्य|

भूखंड संख्या 1,नवल विहार से मात्र 08 फीट की दूरी से गुजरता हाईटेंशन का तार

Action History						
#	From	To	Action	Date	Remarks	Doc.
1	GYANESH KUMAR(ज्ञानेश कुमार) / 9828346151	-	Grievance Registered	09-Aug-2021	Grievance Registered on 09-Aug-2021	-
2	, , ,	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	Allocated	09-Aug-2021	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है	-
3	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Remarks	16-Aug-2021	मौका देखा गया पुराने २ मंजिला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है	-
4	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Partially Special Closed	16-Aug-2021	मौका देखा गया पुराने २ मंजिला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है	-
5	Citizen Contact Center , Data Entry Operator , (Administration) , Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	Jaipur Development Authority (J D A) , Chief Controller Enforcement , (Enforcement) , Chief Controller Enforcement	Marked Not Satisfied	19-Aug-2021	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट है। परिवादी का कहना है किन अधिकारी झूट बोल रहा है तथा आवसीय के आड़ में व्यसायिक निर्माण किया जा रहा है	-
6	Jaipur Development Authority (J D A) , Chief Controller Enforcement , (Enforcement) , Chief Controller Enforcement	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	Transferred	23-Aug-2021	प्राप्त प्रकरण प्रवर्तन अधिकारी जोन- PRN-N से सम्बन्धित होने के कारण आपको निर्देशित किया जाता है की उक्त परिवाद में अंकित तथ्यों की पूर्ण जांच कर विधि सम्मत मेरिट आधारित कार्यवाही आवश्यक रूप से कर व सम्पूर्ण रिपोर्ट अंकित करते हुये मौके पर परिवादी को कार्यवाही से अवगत कराते हुये प्राप्त परिवाद का नियत समयावधि में ही निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें । अगर परिवाद में कोई विधिक अड़चन हो तो मय पत्रावली के विचार विमर्श हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट के श्रीमान मुख्य नियंत्रक-प्रवर्तन अधिकारी महोदय को अवगत करावें।(वर्तमान विषय :- अवैध निर्माण से नया विषय :- अतिक्रमण हटाना एवं वर्तमान पता :- जिला- जयपुर , शहर- जयपुर ग्रेटर, वार्ड- वार्ड न. 41 से नया पता :- जिला- जयपुर , शहर- जयपुर ग्रेटर, वार्ड- वार्ड न. 41 एवं वर्तमान विभाग सम्बंधित कार्य क्षेत्र :- ज़ोन पीआरएन उत्तर-II से नया विभाग सम्बंधित कार्य क्षेत्र:-ज़ोन पीआरएन उत्तर-II में परिवर्तन किया गया)	-
7	, , ,	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	Allocated	23-Aug-2021	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है	-
8	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Remarks	24-Aug-2021	पुराना मकान को तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है	-
9	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - PRN-North	, , ,	Partially Closed :Relief	24-Aug-2021	पुराना मकान को तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है आस पास और कॉलोनी वासियो को कोई आपत्ति नहीं है	-

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 16/08/2021 को बताया गया कि "मौका देखा गया पुराने 2 मंज़िला मकान को तोड़कर आवासीय नया निर्माण उसी के अनुरूप किया है" वही दिनांक 24/08/2021 को बताया कि पुराना मकान तोड़कर आवासीय निर्माण किया गया है,आस पास और कॉलोनीवासियों को कोई आपत्ति नहीं है|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या जेडीसी महोदय बताएँगे कि नवल विहार से गुजर रही 220 केवी की हाईटेंशन लाइन के नीचे स्थित(सेफ़्टी कॉरिडॉर+सेफ़्टी कॉरिडॉर के दोनों तरफ की सड़क) सड़क की मौके पर चौड़ाई कितनी है?
2. क्या जेडीसी महोदय बताएँगे कि 220 केवी की हाईटेंशन लाइन के नीचे स्थित यह भूखंड वैध है या अवैध?
3. यदि भविष्य मे इस रोड की चौड़ाई तय मानदंडो के अनुसार बढ़ायी गयी तो यह गाज किन किन भूखंडों पर गिरेगी?क्या यह गाज भूखंड संख्या 01 नवल विहार पर भी पड़ेगी?
4. क्या जेडीए एक्ट मे इस बात का प्रावधान है कि किसी अवैध निर्माण के मामले मे आस-पड़ोस और कॉलोनीवासियों को कोई आपत्ति नहीं होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी?क्या आस-पड़ोस और कॉलोनीवासियों की एनओसी से कहीं भी, कैसे भी अवैध निर्माण करवाया जा सकता है?
5. क्या अब प्रवर्तन अधिकारी के कथनानुसार सभी निर्माणकर्ताओं को जेडीए के बदले स्थानीय कॉलोनीवासियों और आस-पड़ोस से निर्माण स्वीकृति लेनी चाहिए?
6. विद्वान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आखिर किस आधार पर यह सर्टिफिकेट जारी किया गया कि यहा पर पूर्व मे आवासीय निर्माण था?
7. कौन है यह बाहुबली ज्वेलर जिसकी खातिर जेडीए के जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारी अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर,इस अवैध निर्माण को बचा रहे है?
8. आखिर क्यूँ जेडीए के विद्वान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस अवैध निर्माण की पत्रावली चिन्हिकरण रिपोर्ट के लिए ज़ोन कार्यालय मे नहीं भिजवाई जा रही?
9. विद्वान प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक उनके क्षेत्राधिकार मे प्राप्त कितनी शिकायतों को चिन्हिकरण रिपोर्ट के लिए ज़ोन कार्यालय मे भिजवाया गया?
10. आखिर किस अधिकार के तहत विद्वान प्रवर्तन अधिकारी जेईएन और एटीपी की ज़िम्मेदारी का निर्वाह कर शिकायतों पर स्वयं ही निर्णायक होकर वैधअवैध का निर्णय ले रहे है?

नोएडा अथॉरिटी के चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है'

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के नोएडा प्राधिकरण को भ्रष्ट निकाय कहा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स सुपरटेक को ग्रीन जोन में आवासीय टॉवर बनाने की अनुमति देने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा, 'इस संस्था की आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। प्राधिकरण ने टॉवरों को लेकर आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना भी नहीं दी।' कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स और सियान टॉवरों एनबीसीसी से रिपोर्ट मांगी थी। एनबीसीसी ने रिपोर्ट में कहा है कि टॉवरों के बीच जरूरी दूरी नहीं है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामले यह कड़ी टिप्पणी नोयडा प्राधिकरण के लिए की है|लेकिन यह टिप्पणी जेडीए के भी सटीक बैठती है|क्यूंकि यहाँ पर भी आप पैसा देकर कोई भी गलत काम करवा सकते है|